National Stock Exchange of India Limited

Circular

DEPARTMENT: INSPECTION	
Download Ref No: NSE/INSP/55377	**Date: January 25, 2023**
Circular Ref. No: 07/2023	

To All Members,

Sub: Gazette Notification - Updates in Section 35 of UAPA, 1967

SEBI has shared a copy of the Gazette Notification in respect of 3 individuals, who have been declared as 'Terrorists' and have been listed in the Fourth Schedule of the UA(P) Act, 1967 under Section 35(1)(a) of the UA(P) Act 1967.

The aforesaid Gazette Notification is enclosed as Annexure for ready reference. In this regard, members are advised to take note of the above and comply.

For and on behalf of
National Stock Exchange of India Limited

Harinatha Reddy M
Chief Manager

In case of any clarifications, Members may contact our below offices:

Regional Office	E MAIL ID	CONTACT NO.
Ahmedabad (ARO)	inspectionahm@nse.co.in	079- 49008632
Chennai (CRO)	inspection_cro@nse.co.in	044- 66309915 / 17
Delhi (DRO)	delhi_inspection@nse.co.in	011- 23459127 / 38 / 46
Kolkata (KRO)	inspection_kolkata@nse.co.in	033- 40400412 / 59
Mumbai (WRO)	compliance_wro@nse.co.in	Board Line: 022-25045000 / 022-61928200 Direct Line: 022-25045138 / 022-25045144 Extn: 28144/28138
Central Help Desk	compliance_assistance@nse.co.in	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241717
CG-DL-E-06012023-241717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
No. 68] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

का.आ. 71(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों से निटपने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, अरबाज अहमद मीर पुत्र मन्जूर अहमद मीर, जो गांव गुफ्बल, कैमोह, जिला कुलगाम, जम्मू-कश्मीर से संबंधित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर सीमापार से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए कार्य कर रहा है ;

और, लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त अरबाज अहमद मीर लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक महिला शिक्षक रजनी बाला की हत्या में मुख्य षड़यंत्रकारी रहा है ;

और, उक्त अरबाज अहमद मीर कश्मीर घाटी में आतंकवादी कृत्यों के समन्वय में शामिल है तथा सीमापार से गैर कानूनी रूप से हथियारों या गोला-बारूद या विस्फोटकों की पूर्ति कर आतंकियों की सहायता करता है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अरबाज अहमद मीर आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उक्त अरबाज अहमद मीर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"51. अरबाज अहमद मीर"।

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण :-- विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 39 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2023

S.O. 71(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals, and associations and for dealing with terrorist activities, and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Arbaz Ahmad Mir son of Manzoor Ahmad Mir belonging to Village-Gufbal, Qaimoh, District-Kulgam, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is working for Lashkar-E-Taiba (LeT) from across the border;

And whereas, Lashkar-E-Taiba is listed as a terrorist organisation at serial No. 5 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Arbaz Ahmad Mir is involved in target killing and has emerged as main conspirator in killing of one female teacher namely Rajni Bala in Kulgam, Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Arbaz Ahmad Mir is involved in coordinating terrorism in Kashmir valley and supporting terrorists by transporting illegal arms or ammunition or explosives from across the border;

And whereas, the Central Government believes that Arbaz Ahmad Mir is involved in terrorism and the said Arbaz Ahmad Mir is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 50 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"51. Arbaz Ahmad Mir ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 39 (E), dated the 5th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.06 22:26:14 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241785
CG-DL-E-09012023-241785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
No. 99] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 जनवरी, 2023

का.आ. 105(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे समबन्धित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, जिसके जन्म की तारीख 21 मई, 1996 है, पुत्र चरनजीत सिंह गिल, जिसका जन्म जगरान, लुधियाना, पंजाब में हुआ है, यह वार्ड नं0 02, पत्ती माल, वीपीओ-डाला, पुलिस स्टेशन – मेहना, जिला मोगा, पंजाब, भारत का रहने वाला है, जो वर्तमान में कनाड़ा में रह रहा है, यह खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) नामक संगठन से संबंध रखता है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला का, उक्त अधिनियम के अधीन घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से नजदीकी संबंध है और वह उसकी ओर से आतंकी माड्यूल्स चलाता है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त जघन्य अपराधों जैसे हत्या, जबरन वसूली और लक्षित हत्याओं में शामिल है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, बड़ी मात्रा में सीमापार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा आतंक के वित्तीयन में शामिल है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित विभिन्न मामलों में अभियुक्त है, जिनमें लक्षित हत्याओं, आंतक के वित्तीपन के लिए वसूली, हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भारत के पंजाब राज्य में लोगों के बीच भय पैदा करना शामिल है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"53. अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला "

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण :-- विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 104 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O.. 105(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala having date of birth on the 21st May, 1996, son of Charanjit Singh Gill, born in Jagraon, Ludhiana, Punjab, resident of Ward No. 02, Patti Mall, VPO-Dala, Police Station-Mehna, District Moga, Punjab, India ,presently based in Canada, is associated with Khalistan Tiger Force (KTF) ;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is very close to Hardeep Singh Nijjar, a designated terrorist under the said Act and runs terror modules on behalf of him;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is involved in heinous crimes such as murder, extortion and targeted killings besides terror activities;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is involved in terror financing, cross border smuggling of drugs or weapons in large scale;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is accused in various cases registered and investigated by the National Investigation Agency including targeted killing, extorting money for terror funding, attempt to murder, disturbing communal harmony and creating terror among the people in the state of Punjab, India;

And whereas, the Central Government believes that Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is involved in terrorism and the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 52 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"53. Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala ".

[F.No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:—The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 104 (E), dated the 7th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241773
CG-DL-E-07012023-241773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 2023/पौष 17, 1944
No. 98] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 2023/PAUSHA 17, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2023

का.आ. 104(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, डॉ. आसिफ मकबूल डार, जिसके जन्म की तारीख 2 दिसंबर, 1981 है, पुत्र मुहम्मद मकबूल डार, मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के बारामूला/बेमिना जिले के बगूरा तहसील के अंतर्गत गांव बांदी पाईं का रहने वाला है, जो वर्तमान में सऊदी अरब के दहरान, अश शरकियाह, दमन में रह रहा है, इसका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से है ;

और, हिजबुल मुजाहिदीन उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 8 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से कश्मीर घाटी के युवाओं को आंतकी गतिविधियों के लिए उकसाने में शामिल रहा है ;

और, उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित उग्र विचारधारा वाले प्रमुख लोगों में से एक है और कश्मीरी युवाओं को गलत तरीके से प्रभावित कर उन्हें भारत सरकार और सुरक्षा बलों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है ;

और, उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषित किए जा रहे एक मामले में अभियुक्त है, जो आतंकवादी संगठनों के कैडर द्वारा सीमापार स्थित हैंडलर के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों में आतंकी हमलों के लिए षडयंत्र करने से संबंधित है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि डॉ. आसिफ मकबूल डार आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"52. डॉ. आसिफ मकबूल डार "।

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण :-- विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 71(अ)., तारीख 6 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2023

S.O. 104(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Dr. Asif Maqbool Dar having date of birth on the 2nd December, 1981, son of Mohammad Maqbool Dar, belogning orignially to Village-Bandey Payeen, Tehsil-Wagoora, District –Baramula/Bemina, Srinagar, Jammu and Kashmir, presently based at Daman, Ash Sharqiyah, Dhahran, Saudi Arabia, is associated with Hizb-Ul-Muhahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation at serial No. 8 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Dr. Asif Maqbool Dar is in involved in instigating or provoking the youth of Kashmir Valley for terrorist activities by using social media platforms;

And whereas, the said Dr. Asif Maqbool Dar is one of the leading radical voices on social media and involved in nefariously influencing Kashmiri youth to take up arms against Indian Government and Security Forces;

And whereas, the said Dr. Asif Maqbool Dar is accused in a case investigated by the National Investigating Agency relating to conspiracy hatched by the cadres of terrorist organisation to undertake violent terrorist act in Jammu and Kashmir and major cities in India including New Delhi on the direction of handlers based across the border;

And whereas, the Central Government believes that Dr. Asif Maqbool Dar is involved in terrorism and the said Dr. Asif Maqbool Dar is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 51 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"52. Dr. Asif Maqbool Dar ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O.71(E)., dated the 6th January , 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.07 17:38:59 +05'30'